

**कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज(प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर**

क्रमांक:- शिविरा / प्रारं शि.स / एफ-३ / स्वै अनु / परिपत्र / सम.मं / 2019 /

दिनांक:- 26/08/19

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)

प्रारंभिक शिक्षा, समस्त

सरण-पत्र

**विषय:-** स्वैच्छा से अनुपस्थित कार्मिकों के सबंध में।

**प्रसंग:-** कार्यालय का परिपत्र दिनांक 10.07.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र के द्वारा अपने कर्तव्य से बिना पूर्व अनुमति के स्वैच्छापूर्वक लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे राजसेवकगण के विरुद्ध कार्यवाही कर की जाने वाली कार्यवाही की पालना रिपोर्ट प्रति माह के अंतिम सप्ताह में इस कार्यालय को भिजवाने हेतु लिखा गया था। लेकिन इस सबंध में कोई भी पालना रिपोर्ट अभी तक किसी भी जिले से इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र दिनांक 10.07.19 के द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार स्वैच्छापूर्वक लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे राजसेवकगण के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये की गई कार्यवाही की पालना रिपोर्ट सलग्न प्रपत्र में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार

26/08/19

उपनिदेशक

प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज(प्रा.शि)

राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव,प्रारंभिक शिक्षा विभाग,शासन सचिवालय,जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक / मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. समस्त पीईईओ।
4. प्रभारी सूचना सहायक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

26/08/19

उपनिदेशक

प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज(प्रा.शि)

राजस्थान बीकानेर

बिना अवकाश स्वीकृत कराये, कर्तव्य से अनुपस्थित रहने वाले राजसेवकगण के विरुद्ध  
की गयी कार्यवाही:-

प्रपत्र

जिले का नाम:- .....

माह:-

1— भौतिक सत्यापन पर अनुपस्थित पाये गये कर्मचारी:-

क्र0स0	नाम राजसेवक	पद	पदस्थापन	अनुपस्थित अवधि	क्या कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है हॉ/ना	यदि नहीं तो क्या कारण है।	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		

2— अनुपस्थित राजसेवकगण के विरुद्ध प्रारंभ कार्यवाही का विस्तृत विवरण

क्र0स0	नाम राजसेवक	पद	पदस्थापन	कार्यवाही किस नियम के तहत	वर्तमान स्थिति	अंतिम निर्णय यदि हो गया हो।	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		

नियंत्रण अधिकारी